कार्यालय द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, सा.नि.वि. राजस्थान सरकार

अपील संख्या : 1/2018-19

मै0 हरदयाल कन्सट्रक्शन एण्ड प्रोजक्ट्स एलएलपी एए क्लास पीडब्ल्यूडी संवेदक
बनाम
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा0नि0नि0 संभाग-द्वितीय जयपुर

द्वितीय अपीलीय प्राधिकारीः-शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर।

उपस्थितः-

1. अपीलार्थी की ओर से- श्री अजय कुमार यादव एवं अप्रतीम कुमार यादव
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से - श्री मनवर अली अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत ग्रामीण जयपुर एवं श्री रणवीरसिंह अधिशाषी अभियन्ता, खण्ड फुलेरा

:निर्णयः दिनांक 13.08.2019

1. वर्तमान अपील, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 की धारा-38 के अन्तर्गत सपठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अन्तर्गत अपीलार्थी मै0 हरदयाल कन्सट्रक्सन एण्ड प्रोजेक्ट्स एलएलपी एए क्लास पीडब्ल्यूडी संवेदक द्वारा प्रथम अपील में दिए गये निर्णय दिनांक 17.12.2018 को खारिज करने, संवेदक की बिड को रेस्पोंसिव करने, प्रतिवादी द्वारा निविदा के जारी कार्यादेश पर रोक (स्टे) के कम में प्रस्तुत की गई, जिसमें मुख्यतः कथन किया किः-
   A. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि. संभाग द्वितीय जयपुर द्वारा अल्प कालीन निविदा संख्या 07/2018-19 दिनांक 27.09.2018 द्वारा नॉन पेचेबल स्टेट हाईवे सडक अण्डर एसआरएफ पैकेज संख्या आरजे-16-05-एसआरएफ (एसएच). 2018-19 हेतु निविदा आमंत्रित की गई। अपीलार्थी ने इस निविदा में भाग लिया।
   B. निविदा की विशेष शर्तो के क्लास 4 (h) में निम्नानुसार उल्लेखित थाः-
   "4(h) The bidder should demonstrate that they have adequate financial resources (overdraft/Credit Line/ Letter from Bank) sufficient to sustain the contract Cash flow for 3 months at the peak construction period @ 25% of bid value i.e. Rs. 148.25 Lacs." (Annexure-4)
   C. बिड मूल्यांकन कमेटी द्वारा इसका गलत अर्थ माना कि उपरोक्त शर्त के अनुसार संवेदक को किसी बैंक से लोन सुविधा आवश्यक है एवं इसके लिए उसे किसी बैंक से लोन सुविधा का शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
   D. अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि उसे किसी भी बैंक से लोन सुविधा की आवश्यकता नहीं थी। संवेदक के पास स्वयं के पर्याप्त वित्तीय संसाधन

उपलब्ध है। अपीलार्थी द्वारा निविदा के साथ यह शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया कि उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध है (अनुलग्नक–5)। अपीलार्थी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह काल्पनिक न होकर ऑडिटेड दस्तावेजों पर आधारित था एवं सक्षम चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित एवं मूल्यांकित था (अनुलग्नक–6)। साथ ही संवेदक द्वारा समस्त सूचनाएं सही होने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया था।

2. अपीलार्थी की द्वितीय अपील को प्राधिकारी के द्वारा अभिलेख पर लिया गया तथा अपीलीय प्राधिकारी के द्वारा प्रतिवादी विभाग एवं अपीलार्थी को निम्नानुसार नोटिस जारी किये गये:–

नोटिस की दिनांक	सुनवाई की दिनांक
12.02.2019	20.02.2019
20.02.2019	11.03.2019
05.04.2019	23.04.2019
02.05.2019	29.05.2019
31.05.2019	20.06.2019
01.08.2019	08.08.2019

3. अपीलार्थी मै0 हरदयाल कन्सट्रक्शन एण्ड प्रोजेक्ट्स एलएलपी एए क्लास पीडब्ल्यूडी संवेदक के प्रतिनिधि श्री अजय कुमार यादव ने यह अवगत कराया कि "हमारी फर्म ने सी.ए. द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया कि जिसमें हमारी फर्म के पास पर्याप्त मात्रा में Liquidity उपलब्ध थी, इसलिए हमारे द्वारा बैंक का केडिट प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि बैंक से लोन लेने की हमें आवश्यकता नहीं थी।

4. दिनांक 08.08.2019 को मौखिक बहस के दौरान प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा यह कथन दिया गया कि 4(एच) में इंगित की गई शर्त कोष्ठक में थी जो आवश्यक नहीं थी। इसके अतिरिक्त प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा स्वयं की पर्याप्त वित्तीय स्थिति के संबंध में निविदा के साथ शपथ पत्र (Affidavit) एवं चार्टेड अंकाउटेंट द्वारा प्रमाणित दस्तावेज भी संलग्न किये गये थे।

5. प्रतिवादी अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि., वृत ग्रामीण जयपुर, श्री मनवर अली ने अवगत कराया गया कि "बिड के अन्तर्गत संवेदकों के Post qualification क्लाज 4 (एच) के अनुसार संवेदक को overdraft/Credit Line/ Letter from Bank का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना था। अपीलार्थी संवदेक द्वारा तीनों प्रमाण पत्रों में से एक भी प्रमाण पत्र निविदा ऑनलाइन करते वक्त अपलोड नहीं किया गया इस कारण Bid Evaluation Committee द्वारा सर्व सम्मति से Non Responsive घोषित किया गया है।" प्रतिवादी अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि., वृत ग्रामीण जयपुर श्री मनवर अली ने यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में इस कार्य का कार्यादेश जारी कर अधिकांश कार्य पूर्ण भी किया जा चुका है।

6. प्राधिकारी के द्वारा अपीलार्थी की अपील के साथ उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के अनुसार आमंत्रित की गई निविदा, उसकी शर्तो एवं अपलोड की गई तकनीकी बिड आदि दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया गया एवं पाया कि Post qualification के क्लाज 4 (h) में क्लाज 4 (a) के अतिरिक्त पर्याप्त वित्तीय संसाधन हेतु तीन विकल्पों यथा overdraft/Credit Line/ Letter from Bank में से एक विकल्प की आवश्यकता थी। अपीलार्थी द्वारा क्लाज 4(a) के अनुसार चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित एवं मूल्यांकित दस्तावेज निविदा के साथ अपलोड किया गया परन्तु क्लाज 4 (h) के अनुसार तीन विकल्पों यथा overdraft/Credit Line/ Letter from Bank में से एक भी विकल्प प्रस्तुत नहीं किया।

7. दोनों पक्षों को सुनने, अपील में वर्णित तथ्यों, निविदा व तकनीकी बिड में वर्णित शर्तो का अवलोकन करने के उपरान्त द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के द्वारा द्वितीय अपील को स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया। अतः अपीलार्थी की द्वितीय अपील को निरस्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 13.08.2019 को सुनाया गया। पक्षकार अपना–अपना खर्चा वहन करें।

(एम.एल.वर्मा) 13/8/19
द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी

प.7(82)अनु.–2/2018–19/D-54 जयपुर, दिनांक :13.08.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सा.नि.वि. राज. जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता संभाग द्वितीय सा.नि.वि. राज. जयपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण वृत, सा.नि.वि. राज. जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आईटी), सा.नि.वि. राज. जयपुर का राज्य लोक उपापन पोर्टल (एसपीपीपी) पर अपलोड करने हेतु।
5. अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. जिला खण्ड फुलेरा जयपुर।
6. मै0 हरदयाल कन्सट्रक्शन एण्ड प्रोजक्ट्स एलएलपी एए क्लास पीडब्ल्यूडी संवेदक ए–5, गोलीमार गार्डन, सहकार भवन के पास, सहकार मार्ग मैन रोड़ जयपुर।

(एम.एल.वर्मा) 13/8/19
द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी